

पत्रक

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
स्वायत्तसंरचना प्रसारण संचालक कंपनी लिमिटेड
प्रमोटेड औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
एन ए पी रोड, तहसील कर्वा
लखनऊ।

पत्रक संख्या: 057/टी-3/एनएच/भाउकॉनसुति

लखनऊ : दिनांक : 22-3-2013

विषय- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी उद्योग केंद्रों के कर्मचारियों/युटियों का स्थायी संचयन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशानुयोजक एवं प्रशिक्षण, डीएचडीएटी नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

वन्देय

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 01-5-2012 पर दिनांक 24-08-2012 को महानिदेशानुयोजक, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायकार नीचे अंकित किया जा रहा है-

क्रम सं०	कर्मचारी/एकक जिनके लिए संस्थान/केंद्र द्वारा स्थायी संचयन का अनुमोदन किया गया।	संतुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डीएचडीएटी० द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	SCIR-01/5/12 SIR-23-07-12 W.c.f. Aug 2012
2-	Electrician 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	

DGET-6/24/56/2012-TC DATED 24/08/2012

प्रयोग किये गये संकेत-

- (1) एनएचडीएटी०-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एनएचडीएटी०-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डीएचडीएटी०-निर्णायक निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) एनसी०-निर्णायक
- (5) एनएचडीएटी०-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एनसी०-निर्णय नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा रखाई गई कमियों/युटियों का निराकरण सकारणमय करके अपनी आस्था विन्दुवार सत्य सहित दो प्रतिषों में इस निदेशानुयोजक को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

ध्यान :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के यामित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षणियों को आगामी अक्टूबर भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय

(हस्ताक्षर)
अपर निदेशक (प्रशिक्षण/सिस्टम)

पत्रक संख्या : /टी-3/एनएच/भाउकॉनसुति/ लखनऊ

प्रशिक्षण निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/सिस्टम) लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि यह उपरोक्त विशेष विन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केंद्र को भी अपने स्तर से अवगत करावें।
2. संबंधित संस्थान/केंद्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. आई फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद्, असीमंज, लखनऊ।

(सहित देव)